सं.ए.24015/03(02)/2020-एनएमएल/स्था.III

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक:25 अक्टूबर, 2021

रिक्ति परिपत्र

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सहायक पुस्तकालय तथा सूचना अधिकारी के **दो (02) पद** (केंद्रीय सचिवालय सेवा ग्रुप-ख, राजपत्रित-अलिपिकवर्गीय), **प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) /आमेलन** के आधार पर, वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 (44,900-1,42,400रु.) [वेतन के संशोधन-पूर्व वेतनमान में 4600/-रु. के ग्रेड-वेतन के साथ (वेतन बैंड-2 (93,00रु.-34,8000रु.), में भरने के लिए निर्धारित प्रपत्र में निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठन के तहत ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; अथवा

(ii) जिन्होंने वेतन-मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 (35,400रु. – 1,12,400रु.) [संशोधन-पूर्व वेतनमान में वेतन बैंड-2 (9300रु.-34800रु.) और ग्रेड-वेतन 4200/-रु.] में, अथवा मूल-संवर्ग अथवा विभाग में समकक्ष पद पर नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:

<u>अनिवार्य</u>:-

I. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री;

II. केंद्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा शैक्षिक संस्थान के तहत किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।

वांछनीय:-

I. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री।

II. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) में डिप्लोमा।

टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी,जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले इसी विभाग में अथवा अन्य किसी संगठन अथवा केंद्रीय सरकार के विभाग में अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर धारित प्रतिनियुक्ति भी शामिल है। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) पर नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन हेतु, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पूर्व अथवा वह तारीख जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित वेतन संरचना प्रदान की गई है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, तदनुरूपी ग्रेड-वेतन अथवा आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान किए गए वेतनमान में, सिवाय इसके जहां विलय हुआ हो अथवा एक सामान्य ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के साथ एक ग्रेड में संशोधन-पूर्व एक वेतनमान से अधिक हो और जहां लाभ केवल पद (पदों) के लिए ही दिया जाएगा जहां वह ग्रेड-वेतन अथवा वेतनमान बगैर किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो, प्रदान की गई सेवा माना जाएगा।

टिप्पणी 3: फीडर-संवर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रत्यक्ष पदोन्नति क्रम में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 4: केवल केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी आमेलन के आधार पर (यदि प्रयोज्य हो), नियुक्ति पर विचार करने हेतु पात्र होंगे।

2. प्रतिनियुक्ति आधार पर चयन किए गए (प्रतिनियुक्त) अधिकारी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए मौजूदा अनुदेशों के अनुसार वेतन/पेंशन (ड्यूटी) भत्ता आहरित करने के पात्र होंगे।

3. पात्र तथा रुचि रखने वाले उम्मीदवार अपने आवेदन संलग्न प्रपत्र में उचित माध्यम से, अवर-सचिव (प्रशासन), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कक्ष संख्या 330-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेज दें जो अधोहस्ताक्षरी को रोज़गार समाचार-पत्र में इस परिपत्र के प्रकाशित होने की तारीख से 60 (साठ) दिन के अंदर पहुँच जाएं। आवेदन भेजते समय संबंधित विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उम्मीदवार (उम्मीदवारों) के विवरण सत्यापित किए जाएं और यह कि वह पात्रता की शर्तों को पूरा करता/करती है।

4. आवेदन (आवेदनों) के साथ गत-5 वर्ष की एपीएआर जो समूह 'क' अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित हो, तथा सतर्कता-अनापत्ति और सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र अग्रेषित किए जाएं। प्रत्येक आवेदक के मामले में इस आशय का एक विवरण भी संलग्न किया जाना चाहिए कि आवेदक पर पिछले दस वर्षों में कोई भी लघु/बड़ी शास्ति नहीं लगाई गई है। उपर्युक्त दस्तावेज़ों के बगैर अथवा निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त हुए आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

अनुलग्नक: आवेदन का प्रपत्र

अमित कुमार 25/10/21

(अमित कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: (011)23061323

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग उनके नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालयों/स्वायत्त/सांविधिक निकायों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच व्यापक प्रसार के लिए (मानक सूची के अनुसार)।
2. सभी राज्यों के मुख्य सचिव।
3. स्वास्थ्य विभाग के सभी अनुभाग/डैस्क/प्रकोष्ठ/यूनिट।
4. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, प्रशा-I/II अनुभाग/ ओ एण्ड एम अनुभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त निदेशक, रोजगार समाचार, प्रकाशन प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार VIIवां तल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। अनुरोध है कि कृपया रिक्ति परिपत्र रोजगार समाचार में यथाशीघ्र प्रकाशित कर दिया जाए तथा इसकी सूचना इस मंत्रालय को भेज दी जाए।
6. निदेशक (ई-हैल्थ), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।
7. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल।

जीवन वृत्त/बायोडाटा का प्रपत्र

1. नाम और पता (साफ शब्दों में)	
2. जन्म तिथि (ईस्वी सन् के अनुसार)	
3. (i) सेवा में प्रवेश की तारीख	
(i) केन्द्रीय/राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख	
4. शैक्षणिक योग्यताएं	
5. क्या पद के लिए अवेतन क्षित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं पूरी करते हैं। **(यदि किसी योग्यता को नियमों में विहित योग्यता के समकक्ष माना गया है तो तत्संबंधी प्राधिकारी का उल्लेख करें)**	
विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में यथोल्लिखित अवेतन क्षित योग्ताएं/अनुभव	**अधिकारी द्वारा प्राप्त योग्यताएं/अनुभव**
अनिवार्य	**अनिवार्य**
क) योग्यता	ख) योग्यता
ग) अनुभव	घ) अनुभव
वांछनीय	**वांछनीय**
क) योग्यता	ख) योग्यता
ग) अनुभव	घ) अनुभव

5.1 टिप्पणी: इस स्तंभ में रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन देने की तारीख तथा परिपत्र जारी करने की तारीख को **प्रशासनिकमंत्रालय/विभाग/कार्यालयद्वारा** भर्ती नियमों में यथोल्लिखित अनिवार्य और वांछनीय योग्याताओं का उल्लेख करने के लिए अतिरिक्त विवरण दिया जाना चाहिए।

5.2 डिग्री और स्नातकोत्तर योग्यता के मामले में **अभ्यर्थी द्वारा** वैकल्पिक/मुख्य विषयों और सहायक विषय का उल्लेख किया जाना चाहिए।

6. कृपया आपके द्वारा की गई उपर्युक्त टिप्पणियों के आलोक में स्पष्टतापूर्वक यह बताएं कि क्या आप इस पद के लिए अवेतन क्षित अनिवार्य योग्यता तथा कार्य अनुभव की पूर्ति करते हैं।	

6.1 टिप्पणी: विभागों को अपनी विशिष्ट टिप्पणियां/दृष्टिकोण प्रदान करने चाहिए जिनमें आवेदित पद के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा धारित संबद्ध अनिवार्य योग्यता/कार्य अनुभव की पुष्टि की गई हो(बायो-डाटा में दर्शाए अनुसार)।

7. कालानुक्रम अनुसार रोजगार का ब्यौरा,**यदि नीचे दिया गया स्थान पर्याप्त न हो तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित करके एक अलग शीट लगाएं।**

कार्यालय/संस्थान	नियमित आधार पर धारित पद	दिनांक से	दिनांक तक	*नियमित आधार पर धारित पद का वेतन-बैंड और ग्रेड-वेतन /वेतनमान	कार्यों की प्रकृति (विस्तारपूर्वक),आवेदित पद के लिए अवेतन क्षित अनुभव का ब्यौरा भी दें

***महत्वपूर्ण:** एसीपी/एमएसीपी के तहत प्रदत्त वेतन बैंड और ग्रेड-वेतन अधिकारी के लिए वैयक्तिक हैं और इसलिए इनका उल्लेख नहीं करना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित पद के वेतन -बैंड और ग्रेड- वेतन /वेतनमान का उल्लेख करना चाहिए। मौजूदा वेतन -बैंड और ग्रेड-वेतन सहित एसीपी/एमएसीपी का ब्यौरा, यदि अभ्यर्थी द्वारा ऐसे लाभ प्राप्त किए गए हैं, निम्नानुसार दिया जा सकता है:

कार्यालय/संस्थान	एसीपी/एमएसीपी स्कीम के अंतर्गत आहरित-वेतन ,वेतन -बैंड तथा ग्रेड-वेतन	दिनांक से	दिनांक तक

8. मौजूदा रोजगार की प्रकृति अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थाई अथवा स्थाईवत् अथवा स्थाई	
9. यदि मौजूदा रोजगार प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर धारित किया हुआ है तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरा दें:	

क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख	ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि	ग) उस मूल कार्यालय/संगठन का नाम, जिससे अभ्यर्थी संबद्ध है	घ) मूल संगठन में स्थाई हैसियत में धारितपद का नाम और पद का वेतन

9.1 टिप्पणी: यदि अधिकारी पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर है तो ऐसे अधिकारियों के आवेदन पत्र मूल संवर्ग/विभाग द्वारा अग्रेषित किए जाने चाहिए और इसके साथ संवर्ग अनापत्ति प्रमाण पत्र, सतर्कता अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिए। **9.2 टिप्पणी:** यदि किसी व्यक्ति ने संवर्ग/संगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति पर कोई पद धारित किया हुआ है लेकिन उसका मूल संवर्ग/संगठन में अभी भी लियन कायम है तो ऐसे सभी मामलों में उपर्युक्त कॉलम 9 (ग) और (घ) के अंतर्गत सूचना प्रदान की जानी चाहिए।	
10. यदि अभ्यर्थी द्वारा पहले प्रतिनियुक्ति पर कोई पद धारण किया गया हो, तो पिछली प्रतिनियुक्ति से लौटने की तारीख और अन्य ब्यौरे।	
11. वर्तमान रोजगार के संबंध में अतिरिक्त ब्यौरा: कृपया उल्लेख करें कि किसके तहत कार्य करते थे (संगत स्तम्भ के सामने अपने नियोक्ता का नाम लिखें) क) केंद्र सरकार ख) राज्य सरकार ग) स्वायत्त संगठन घ) सरकारी उपक्रम ङ) विश्वविद्यालय च) अन्य	
12. कृपया उल्लेख करें कि क्या आप उसी विभाग में कार्य कर रहे हैं और फीडर ग्रेड में हैं या फीडर टू फीडर ग्रेड में हैं।	
13. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हाँ तो कौन सी तारीख से संशोधन हुआ है और संशोधन-पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें	

14. इस समय प्राप्त की जा रही कुल परिलब्धियाँ

वेतन बैंड में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धियाँ

15. यदि आवेदक ऐसे संगठन में है जो केंद्र सरकार के वेतनमान नहीं अपनाते हैं, निम्नलिखित विवरण दर्शाते हुए संगठन द्वारा जारी नवीनतम वेतन पर्ची संलग्न की जाए।

वेतनमान सहित मूल वेतन और वेतन वृद्धि दर	महंगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते इत्यादि (अलग-अलग ब्यौरे) दें।	कुल परिलब्धियाँ

16.क आवेदित पद की उपयुक्तता के समर्थन में **अतिरिक्त जानकारी**, यदि कोई हो। (इसमें अन्य जानकारी के अलावा (i) अतिरिक्त अकादमिक योग्यता (ii)वेतन शेवर प्रशिक्षण और (iii) रिक्ति के परिपत्र/विज्ञापन में मांगें गए कार्यअनुभव के अलावा अतिरिक्त कार्यानुभव दिया जाए।) (नोट: यदि पर्याप्त स्थान न हो तो अलग से शीट लगाएं)	
16..खउपलब्धियाँ: अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि निम्न के संबंध में सूचना दें: (i) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट तथा विशेष प्रोजेक्ट (ii) अवार्ड/ छात्रवृत्ति/कार्यालयी सराहना (iii) वेतन शेवर निकायों/संस्थानों/ सोसाइटियों से संबंद्धता और; (iv) अपने नाम से या संगठन के लिए अर्जित किए गए पंजीकृत वेतन टेंट (v) कोई अनुसंधान/नवाचार उपाय जिसके लिए कार्यालयी मान्यता मिली हो **(नोट: यदि पर्याप्त स्थान न हो तो अलग से शीट लगाएं)**	
17. कृपया बताएं कि आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन /पुनर्नियोजन आधार पर आवेदन कर रहे हैं# #(केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी ही "आमेलन" के पात्र हैं। गैर-सरकारी संगठनों के अभ्यर्थी केवल अल्पावधि संविदा के ही पात्र हैं।)	
# ('एसटीसी'/ 'आमेलन' / 'पुनर्नियोजन' का विकल्प तभी है जब रिक्ति के भर्ती परिपत्र में विशेष तौर पर 'एसटीसी' या 'आमेलन' या 'पुनर्नियोजन' द्वारा भर्ती का उल्लेख हो)	
18. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबद्ध हैं	

मैंने ध्यानपूर्वक रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन पढ़ लिया है और मुझे ज्ञात है कि मेरे द्वारा शैक्षिक योग्यता/कार्य अनुभव से संबंधित प्रलेखों द्वारा समर्थित जीवन-वृत्त में दी गई सूचना का मूल्यांकन पद के चयन के समय चयन समिति भी करेगी। मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना/ ब्यौरे मेरे विश्वास के अनुसार सही व सत्य हैं और मेरे चयन से संबंधित कोई भी अभिज्ञात तथ्य छिपाए/दबाए नहीं गए हैं।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

पता...........................

....

दिनांक ....

नियोजक /संवर्ग नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रमाणन

उपर्युक्त आवेदन में आवेदक द्वारा दी गई सूचना/ब्यौरे रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सही व सत्य हैं। वे रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते/रखती हैं, उनका चयन होने पर उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है:

i) श्री/श्रीमती के विरूद्ध कोई सतर्कता या अनुशासन संबंधी मामला लंबित/अवेतन क्षित नहीं है।

ii) उनकी सत्य निष्ठा प्रमाणित की जाती है।

iii) उनका गोपनीय रिपोर्ट डोजियर मूल रूप से संलग्न है/पिछले 5 वर्ष की गोपनीय रिपोर्ट अवर सचिव, भारत सरकार अथवा उच्च अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न हैं।

iv) पिछले 10 वर्षों के दौरान उनके विरुद्ध कोई बड़ी/लघु शास्ति नहीं लगाई गई है **अथवा** पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर लगाई गई बड़ी/लघु शास्तियों की सूची संलग्न है (जैसी भी स्थिति हो)।

प्रतिहस्ताक्षरित

(नियोजक/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की मुहर सहित)